

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर)

//विज्ञापन//

क्रमांक-1078/दो-11-1/2023

अम्बिकापुर, दिनांक 05/07/2023

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि - 25.07.2023 संध्या 5.00 बजे तक

सरगुजा जिला न्यायालय स्थापना के अन्तर्गत तृतीय/चतुर्थ श्रेणी (स्टेनोग्राफर हिन्दी/अंग्रेजी, स्टेनो टायपिस्ट) एवं चतुर्थ श्रेणी (आदेशिका वाहक, भूत्य) के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अहता प्राप्त भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-

1. रिक्त पदों का विवरण :-

रिक्त पद का नाम	पद रिक्त कृति	अ0ज0जा0				अ0जा0				अ0पि0र्वा				अनारक्षित पद			
		मुक्ति	महिला	सेनिक भूतपूर्व	दिव्यांग	मुक्ति	महिला	सेनिक भूतपूर्व	दिव्यांग	मुक्ति	महिला	सेनिक भूतपूर्व	दिव्यांग	मुक्ति	महिला	सेनिक भूतपूर्व	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)	02	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	10	7	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
स्टेनो टायपिस्ट	02	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
आदेशिका वाहक	03	02	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
भूत्य	07	1	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-

टीप :-

- आवश्यकतानुसार उपरोक्त पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी।
- उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए, किया जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।
- परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर के पास सुरक्षित रहेगा।
- सा.प्र.वि. क्र. एफ 3-1/2016/1-3 दिनांक 11.01.2017 के अनुसार महिलाओं के लिये आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिये ही लागू होंगे।

2. (01) स्टेनोग्राफर(हिन्दी) पद के लिए

(अ) वेतनमान :— वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 (28700—91300)

(ब) शैक्षणिक योग्यता :-

- (i) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग हेतु न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र।
- (ii) छ.ग./मध्य प्रदेश शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड द्वारा या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
- (iii) किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रमाणपत्र के साथ एम0एस0 वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान।

(02) स्टेनोग्राफर(अंग्रेजी) पद के लिए

(अ) वेतनमान :—वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 (28700—91300)

(ब) शैक्षणिक योग्यता :-

- (i) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग हेतु न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र।
- (ii) छ.ग./मध्य प्रदेश शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड द्वारा या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से अंग्रेजी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
- (iii) किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रमाणपत्र के साथ एम0एस0 वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान।

(03) स्टेनो टायपिस्ट पद के लिए

(अ) वेतनमान : वेतन मैट्रिक्स के लेवल-4 (19500—62000)

(ब) शैक्षणिक योग्यता :-

- (i) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग हेतु न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र।

- (ii) छ.ग./मध्य प्रदेश शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड द्वारा या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
- (iii) किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रमाणपत्र के साथ एम०एस० वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान।

(04) आदेशिका वाहक पद के लिए

(अ) वेतनमान :— वेतन मैट्रिक्स के लेवल-3 (18000-56900)

(ब) शैक्षणिक योग्यता :-

- (i) किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से पूर्व माध्यमिक परीक्षा (आठवीं कक्षा) उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र
- (ii) सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें।

(5) भूत्य पद के लिए

(अ) वेतनमान :— वेतन मैट्रिक्स के लेवल-1 (15600-49400)

(ब) शैक्षणिक योग्यता :-

- (i) किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से पाँचवीं कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र
- (ii) आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
- (iii) सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें। यदि किसी कार्य में विशेषज्ञता रखते हों तो विशेष योग्यता जैसे ड्राइवर, इलेक्ट्रॉशायन, प्लम्बर, एवं कम्प्यूटर इत्यादि प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।

महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भेजें। परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर, उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी। किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं, तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों से चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

3. आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें :-

- (1) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (2) कोई पुरुष उम्मीदवार जिसके एक से अधिक पत्नी जीवित है और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु यदि शासन को इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
- (3) उम्मीदवार दिनांक 01/01/2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, परन्तु 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट होगी अर्थात् अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमिलेयर) महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (4) आवेदक किसी शासकीय या वैद्यानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।
- (5) अभ्यर्थी रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करते हुए रोजगार कार्यालय के पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे। (शासकीय सेवकों को छूट रहेगी।)

उच्चतम आयु सीमा में छूट :-

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी:-

- 2 (एक)(1)- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।
- 2 (एक)(2)- छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिंजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेंगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।
- 2 (एक)(3)- ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं

का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :- छांटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।

- 2 (एक)(4)- ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 2 (एक)(5)- महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी। जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।
- 2 (एक)(6)- शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है,(अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।
- 2 (एक)(7)- विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।
- 2 (एक)(8)- स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी अधिकतम आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 2 (एक)(9)- संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 43 वर्ष की आयु सीमा तक होगी।

नोट :- अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

2(एक)(10)- शारीरिक रूप से अक्षम सेवा योग्य (इष्टिहीन, श्रवणबाधित तथा अस्थिबाधित के उम्मीदवारों) व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

2 (दो)(1)- आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सर्वां सहभागी को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

नोट :- आयु सीमा में छूट हेतु सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट /जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

2 (दो)(2)- विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं प्रचलित शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :- (1) बिन्दु क्रमांक 2(एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।
(2) बिन्दु क्रमांक 2(दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार(प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिन्दु क्रमांक(एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण:- यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ-साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी। अन्तरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जाएगी।

महत्वपूर्ण- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की

जाएगी। सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4. अन्य शर्तें :-

1. रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)
2. चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाणपत्र फर्जी पाये जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिये बिना उसकी सेवा समाप्त किया जाकर दाण्डिक कार्यवाही संस्थित की जावेगी।
3. उपरोक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया/चयन के समय अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।
5. जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा/निगम/मण्डल/उपकम में कार्यरत हैं, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. कोई भी अभ्यर्थी जिसे किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो वह नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
7. यदि विज्ञापित रिक्त पदों के विरुद्ध अत्यधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो अभ्यर्थियों की संख्या कौशल परीक्षा हेतु सीमित किये जाने के लिए, ऐसे पदों की पूर्ति हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी। जिसकी नियुक्ति हेतु चयन विधि से यथा समय अवगत कराया जावेगा।
8. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त मूल प्रमाण-पत्र एवं जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त कर, प्रस्तुत करना होगा।

5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

- 1- स्पष्ट एवं स्वच्छ भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 25.07.2023 की संध्या 5.00 बजे तक बंद लिफाफे में स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम एवं वर्ग लिखा हो, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर) छ.ग. में पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट अथवा स्वयं उपस्थित होकर जिला एवं सत्र न्यायालय, अम्बिकापुर के कार्यालय के ड्रॉप बॉक्स में डालकर प्रस्तुत किये जा सकते हैं। दिनांक 25.07.2023 की संध्या 5.00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 2- आवेदन के साथ जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र (शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत शासकीय सेवकों को

छोड़कर), दिव्यांगता प्रमाण पत्र इत्यादि प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- 3- कोरियर, ई-मेल, फैक्स के द्वारा प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व तथा निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 4- विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन जिला न्यायालय सरगुजा(अम्बिकापुर) के वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/surguja> में किया जा सकता है, तथा विज्ञापन में दिये आवेदन पत्र के प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है।
- 5- कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिये आवेदन करना चाहता हो तो प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन पत्र पृथक-पृथक लिफाफा में प्रस्तुत करना होगा। एक ही आवेदन फार्म में दो पदों के लिए किया गया आवेदन मान्य नहीं होगा। बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 6- आवेदक, आवेदन पत्र पर स्व-प्रमाणित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करेगा।
- 7- आवेदक, आवेदन पत्र का सम्पूर्ण इन्द्राज नीले बॉल पेन/डॉट पेन से ही करेगा। अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।
- 8- ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख के उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
- 9- डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों के विलम्ब से प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने की जवाबदारी इस कार्यालय की नहीं होगी और इस संबंध में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 10- विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेगे। प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र निरस्त किये जावेंगे।
- 11- त्रृटिपूर्ण, अपूर्ण एवं अस्पष्ट आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा। जिसकी सूचना आवेदक को देने हेतु बाध्यता नहीं रहेगी।

6. नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया :-

(अ) स्टेनोग्राफर (हिन्दी/अंग्रेजी) व स्टेनो टायपिस्ट पद के लिए :-

प्रथम चरण : लिखित परीक्षा

आवेदकों की संख्या अधिक होने पर कौशल परीक्षा हेतु संख्या सीमित किये जाने के लिए लिखित स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा (व्यवहारिक ज्ञान,

सामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर ज्ञान इत्यादि से संबंधित) आयोजित की जा सकेगी, जिसमें 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसके सभी 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर हेतु एक-एक अंक निर्धारित होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के चार विकल्प दिये जावेंगे, जिनमें से सही उत्तर पर सही का चिन्ह (/) नीले अथवा काले बॉल प्वाइंट पेन से अंकित करना होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अधिकतम अंक के आधार पर विज्ञापित पद के 15 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर चयन के आगामी चरण, कौशल परीक्षा हेतु आहुत किया जावेगा।

नोट:- अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक विकल्प पर ही सही(/)चिन्ह अंकित करना होगा। सही (/) चिन्ह को काटकर पुनः दुसरे विकल्प पर सही(/) का निशान लगाने से उत्तर सही होने पर भी गलत उत्तर माना जावेगा अभ्यर्थी द्वारा सही चिन्ह(/) के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का निशान अंकित करने पर भी उत्तर सही होने पर गलत माना जावेगा। जिसके अतिरिक्त एक से अधिक विकल्प पर सही (/) का चिन्ह अंकित किये जाने पर भी उसका मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

द्वितीय चरण : कौशल परीक्षा

(अ) स्टेनोग्राफर (हिन्दी/अंग्रेजी), स्टेनो टायपिस्ट पद हेतु :-

(I) कौशल परीक्षा 250 अंकों की होगी। उम्मीदवारों को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 05 मिनट का त्रुतलेख दिया जावेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 45 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कम्प्यूटर पर उबन्टू ओपन सोर्स ऑफरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाईप करना होगा।

(II) दस्तावेज परीक्षण:- कौशल परीक्षा पूर्व, निर्धारित समय व स्थान पर अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज सहित व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी। जिसमें अभ्यर्थी के दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा एवं दस्तावेज पूर्ण/सही होने पर कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी।

कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर ही मेरिट सूची एवं चयन सूची तैयार किया जावेगा।

(ब) आदेशिका वाहक पद के लिए :-

(i) साक्षात्कार-50 अंक।

आदेशिका वाहक पद हेतु अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु मूल दस्तावेज सहित व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति अनिवार्य होगी। जिसमें अभ्यर्थी का साक्षात्कार लिया जावेगा एवं दस्तावेज परीक्षण किया जावेगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी।

आदेशिका के रिक्त पदों पर अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की संख्या सीमित किये जाने हेतु अभ्यर्थी के आठवीं का प्राप्तांक/प्रतिशत/ग्रेड अथवा वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा या किसी

अन्य प्रकार से, जो सुविधाजनक हो, अभ्यर्थियों की संख्या सीमित करने हेतु प्रावधान किया जावेगा। जिसकी सूचना यथा समय जारी की जावेगी।

(स) भृत्य (नियमित) पद के लिए :-

(i) साक्षात्कार-50 अंक।

भृत्य (नियमित) पद हेतु अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु मूल दस्तावेज सहित व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति अनिवार्य होगी। जिसमें अभ्यर्थी का साक्षात्कार लिया जावेगा एवं दस्तावेज परीक्षण किया जावेगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी।

भृत्य के रिक्त पदों पर अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की संख्या सीमित किये जाने हेतु अभ्यर्थी के पांचवीं का प्राप्तांक/प्रतिशत/ग्रेड अथवा वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा या किसी अन्य प्रकार से, जो सुविधाजनक हो, अभ्यर्थियों की संख्या सीमित करने हेतु प्रावधान किया जावेगा। जिसकी सूचना यथा समय जारी की जावेगी।

-: चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची :-

- 1- चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर) को होगा।
- 2- उपरोक्त पदों पर मेरिट सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी। उपरोक्त पदों हेतु जारी चयन सूची के अभ्यर्थी के द्वारा नियम समयावधि के भीतर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों का चयन कर नियुक्त किया जा सकेगा।
- 3- चयन हेतु अभ्यर्थी के वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर, वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। समान अंक एवं समान जन्मतिथि होने पर उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी और उच्चतर शैक्षणिक योग्यता भी समान होने पर, उच्चतर शैक्षणिक योग्यता में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।
- 4- आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के स्थायी/वैध जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- 5- चयन प्रक्रिया, चयन एवं नियुक्ति के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर) का निष्कर्ष अंतिम एवं बन्धनकारी होगा। कोई अयोग्यता पाये जाने पर किसी भी स्तर पर चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- 6- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी तथा उनकी सेवायें आवश्यकता न होने पर कभी भी बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
- 7- जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं आवश्यक जांच एवं परीक्षण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेगे। उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार चयन समिति सुरक्षित रखती है।

- 8- जिस पद हेतु अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेना है उक्त पद के अभ्यर्थियों को उनकी शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता इत्यादि बिन्दुओं पर परखा जाएगा।
9. चयनित उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर, रायपुर के वित्त निर्देश कमांक 372/260/वि/नि/चार/2020 नया रायपुर अटल नगर दिनांक 29.07.2020 एवं सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर दिनांक 28.07.2020 की अधिसूचना के आधार पर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी एवं उक्त परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त सेवकों को निम्नानुसार स्टाइपिंड देय होगा।
- प्रथम वर्ष- पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत।
- द्वितीय वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत।
- तृतीय वर्ष- पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत।
- किन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टाइपिंड के साथ-साथ अन्य भत्ते, कार्यरत अन्य शासकीय कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण न होने पर उसे आगे केवल एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा। इसके पश्चात भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया गया तो उनकी सेवाएं बिना कोई कारण बतायें समाप्त की जा सकेंगी।
- 10- चतुर्थ श्रेणी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों से कार्य व्यवस्था के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी/आकस्मिकता निधि के अन्य पदों के कार्य भी लिए जा सकेंगे।

7. अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।
पदों हेतु निर्धारित योग्यता विज्ञापन तिथि तक पूर्ण होने चाहिए।

8. अन्य आवश्यक सूचनाएं

- 1- प्रत्येक पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा हेतु सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जावेगी, तथा जिला न्यायालय सरगुजा (अम्बिकापुर) के वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/surguja> पर अपलोड कर दी जावेगी।
- 2- जिला न्यायालय सरगुजा के वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/surguja> में से आवेदक अपना प्रवेश पत्र प्रारूप डाउनलोड कर, आवश्यक प्रविष्टि भरते हुए, आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान

परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपना अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेजों सहित परीक्षा के निर्धारित दिनांक एवं समय पर लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु उपस्थित होंगे। किसी भी आवेदक को अन्य किसी भी रूप से लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु सूचना/प्रवेश पत्र पृथक से नहीं भेजा जावेगा, इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।

- 3- परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा आगामी तिथि निर्धारित कर या एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

Approved
S.T. 23
District & Sessions Judge
Surguja (Ambikapur) C.G.

Q
9/10/2017
(अध्यक्ष) चयन समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
सरगुजा (अम्बिकापुर) छ.ग.

त्रुटीय/चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप
(.....रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु)

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर) छ.ग.

आवदेक का
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज
का फोटो

- | | | |
|-----|--|-------------------------|
| 1. | आवेदित पद का नाम | |
| 2. | आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी के ब्लाक लेटर्स में) | |
| 3. | लिंग- पुरुष संकेतांक-1, महिला संकेतांक-2, अन्य संकेतांक-3 | |
| 4. | पिता/पति का नाम | |
| 5. | जाति/वर्ग | |
| 6. | अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता.....
(हिन्दी में)

ब) स्थायी पता |
.....
..... |
| 7. | अ) जन्म तिथि - अंको में

शब्दों में
ब) दिनांक 01/01/2023 को आयु :-.....वर्षमाहदिन | |
| 8. | क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है?
हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो प्रमाण-पत्र संलग्न करें) | |
| 9. | आवेदक छ.ग. शासन द्वारा घोषित अनुसूचित
जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हाँ/नहीं
(यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी
जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।) | |
| 10. | क्या आवेदक दिव्यांग है? हाँ/नहीं
(यदि हाँ, तो दिव्यांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड
द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें) | |
| 11. | दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत | |
| 12. | क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है? हाँ/नहीं
(यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्रकी सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।) | |

13. रोजगार कार्यालय की जीवित पंजीयन क्रमांकदिनांक.....
14. रोजगार कार्यालय का नाम
15. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6

16. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है? हाँ/नहीं
(यदि हाँ, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र
की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)
17. क्या आवेदक के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई दाइडिक प्रकरण दर्ज किया
गया है, अथवा लंबित है :-
(यदि हाँ तो स्पष्ट विवरण दें)
18. क्या आवेदक को किसी न्यायालय/शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय
प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत किया गया है (हाँ/नहीं)
(यदि हाँ तो स्पष्ट विवरण दें)

19. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची:-

1. 2.
3. 4.
5. 6.

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त
विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य,
पूर्ण एवं सही है और यदि वे झूठे या गलत पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति
किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी।

दिनांक
स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम एवं पूरा पता